डॉ0 एन0 सरवण कुमार,भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, पटना द्वारा दिनांक 05.06.2013 को अंचल/प्रखण्ड कार्यालय, मोकामा का किया गया औचक निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी।

....

औचक निरीक्षण के लिए पटना मुख्यालय से प्रस्थान कर करीब 11.25 बजे पूर्वाहन मोकामा अंचल/प्रखण्ड कार्यालय मोकामा पहुंचा। निरीक्षण के समय अंचलाधिकारी एव प्रखण्ड विकास पदाधिकारी उपस्थित थे।

<u>1.कर्मियों की उपस्थिति :–</u> अंचल/प्रखंड कार्यालय में संधारित उपस्थिति पंजी की जांच की गयी। निम्नांकित कर्मी अनुपस्थित पाये गये–

अंचल कार्यालय में श्री संतोष कुमार, अनुसेवी दिनांक 29.05.13 से 31.05.13 तक एवं 01.06.13 से 06.06.13 तक, श्री राजेश्वर प्रसाद, संबिदा लिपिक दिनांक 31.05.13 एवं 03.06.13 से 05.06.13 तक अनुपस्थित पाये गये। अनुपस्थित अवधि का इन दोनों कर्मियों का वेतन/मानदेय उनके संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक स्थगित किया जाता है। अंचलाधिकारी इनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रखंड कार्यालय में निम्नांकित पदा0/कर्मी अनुपस्थित पाये गये–

1. मो0 अनवार अहमद, प्र0 स0 पदा0, मोकामा प्रखंड
2. श्री मती किरण कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, मोकामा प्रखंड
3. श्री अभय कुमार, प्र0 कृ0 पदा0, मोकामा प्रखंड

उपर्युक्त तीनों पर्यवेक्षीय पदाधिकारी उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति नही बनाते हैं। उपस्थित तीनों पदाधिकारियों से पूछने पर बताया गया कि इन्हें इसकी जानकारी नही थी। उन्हें निदेशित किया गया कि वे उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति बनाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका वेतन स्थगन हेतु प्रतिवेदित करने के लिए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

इनके अतिरिक्त श्री विमल यादव, लिपिक दिनांक 05.06.13, श्री अनिल कुमार जंजीर वाहक दिनांक 01.06.13, 03..06.13, 04.06.13 एवं 05.06.13 श्री अशरफ युसुफ अनुसेवी दिनांक 05.06.13 एवं श्री प्रभात कुमार डाटा इन्ट्री आपरेटर दिनांक 04.06.13 एवं 05.06.13 को अनुपस्थित पाये गये। इन चारों कर्मियों की अनुपस्थित अवधि का वेतन संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त होने तक स्थगित करते हुए प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि इनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य के साथ अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

श्री श्रवण कुमार आदेशपाल अपनी वर्दी में नहीं थे। पूछने पर बताया गया कि वर्ष 2004 र आवंटन के अभाव में उन्हें वर्दी नही मिली है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि ते आवंटन के लिए पत्राचार करते हुए उन्हें वर्दी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपस्थिति पंजी का भौतिक सत्यापन के क्रम में श्री सुभाष सिंह, चालक, अंचल कार्यालय बिना वर्दी में पाये गये। उनका आज की वेतन स्थगित रखते हुए अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपने मंतव्य सहित अधोहस्ताक्षरी को भेजना सुनिश्चित करें।

2.आर0टी0पी0एस0 :– आर0 टी0 पी0 एस0 काउन्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में श्री गणेश पिता विरंचित शर्मा ग्राम–मोकामा अपनी आवास एवं जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देने के लिए आये हुए थें काउन्टर से नही आकर ये पीछे से आकर आवेदन पत्र जमा करने आये थे। इनके आवेदन पत्र पर श्री मती रंजु कुमारी वार्ड पार्षद वार्ड–17 नगर परिषद द्वारा अनुशंसा की गयी थी। उनके द्वारा बताया गया कि वार्ड पार्षद की अनुशंसा अनिवार्य बताया गया है, इसलिए अनुशंसा प्राप्त किया गया है।

श्री नवीन कुमार पिता–नवल किशोर, डाटा इन्ट्री आपरेटर, ग्राम– मोकामा जिला–पटना के रहनेवाले हैं। ये भू–अभिलेख कम्प्यूटराइजेशन के लिए अंचल कार्यालय में आये हुए हैं परन्तु अनावश्यक ये अंचल कार्यालय के आर0 टी0 पी0 एस0 कार्यालय में थे। इनका बोल–चाल की शैली ठीक नही था तथा ये संदिग्ध आचरण के भी लग रहे थे। इन्हें बेलट्रान वापसी के लिए आदेश दिया जाता है। साथ ही इन्हें बेलट्रान से हटाने का भी अनुशंसा किया जाता है।

कार्यपालक सहायक एवं कम्प्यूटर आपरेटर द्वारा बताया गया कि जेनरेटर मे तेल आपूर्ति नही किए जाने के कारण जेनरेटर प्रायः चालू अवस्था में नही रहती है। अंचलाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से पूछने पर बताया गया कि जेनरेटर एजेंसी के द्वारा ही तेल की आपूर्ति की जाती है और जेनरेटर आपूर्तिकर्ता द्वारा तेल समय पर आपूर्ति नही की जाती है। पूर्व में भी इस तरह 12,000/–रूपये बकाया है। अंचलाधिकारी को निदेशित किया गया कि इस तरह के जेनरेटर आपूर्तिकर्ता की बार–बार लापरवाही बरतने के वजह से किसी दूसरे जेनरेटर आपूर्तिकर्ता से संधारित दर पर कार्य लेना सुनिश्चित करें। जेनरेटर संचालन में अनियमितता के संबंध में जांच कर दोषी पर आवश्यक कार्रवाई नोडल पदाधिकारी (आर0टी0पी0एस0) द्वारा किया जाय।

आर0टी0पी0एस0 कार्यालय के बाहर किसी तरह की सूचना पट्ट प्रदर्शित नही है जिसके कारण यह नही जाना जा सकता है कि आर0टी0पी0एस0 के अन्तर्गत कितने समय तक आवेदन पत्र लिए जायेगें, आवेदन पत्र प्राप्ति के कितने दिनों के पश्चात प्रमाण–चत्र दिए जायेंगे। आई0 टी0 असीसटेन्ट श्री बिनोद कुमार अनुपस्थित थे। इनके संबंध में पूछने पर बताया गया कि वे एन0आई0सी0 ऑफिस में किसी काम से गये हुए है। इसकी पुष्टि के लिए आर0टी0पी0एस0 के नॉडल पदाधिकारी श्री रजनीकान्त, वरीय उप